

**श्रीमती करिश्मा माननीय स०वि०स० से प्राप्त गै०स०सं०सं०-45/2026
का उत्तर प्रतिवेदन।**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण कैनल जो गोपालगंज जिला से चलकर सिवान जिला होते हुए सारण जिला आती है और गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इस कैनल के किनारे- किनारे सड़क का निर्माण करावें।	वर्तमान में सारण कैनल के किनारे-किनारे सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क का निर्माण राज्य के पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। यदि पथ निर्माण करने वाले विभाग द्वारा अनापत्ति की माँग की जाती है तो नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक-25/वि०स०संकल्प (सि०)-09-39/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-1676 दिनांक-18.07.2026 के प्रसंग में गैर सरकारी संकल्प सं०-45/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०संकल्प (सि०)-09-39/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0संकल्प (सि0)-09-39/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0संकल्प (सि0)-09-39/2026- 3964

पटना, दिनांक-07/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार गुप्ता
3.9.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

03.9.26